Item No. 6 (Court No. 2)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPALBENCH, NEW DELHI.

(Through Physical Hearing with Hybrid VC Option)

Original Application No.583/2022

Naveen Rana …Applicant

Versus

State of Uttarakhand& Ors. …Respondents

Date of hearing: 11.05.2023

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER.
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER.

Applicant: None for the applicant.

Respondents: Mr. Rahul Verma, AAG for the State of Uttarakhand.
Mr. Mukesh Verma, Advocate for UKPCB (through VC).

Application is registered based on a letter petition received by Post.

ORDER

1. Mr Naveen Rana has sent by post the present letter petition, whichhas been treated and registered as original application, complaining about large scale illegal encroachments in the form of mobile and stationary vending stalls spread all over the bank of River Ganga from Ram Jhula to Janki Jhula at Swargashram, District Pauri Garhwal (Uttarakhand)which are causing pollution of River Ganga. The vendors have encroached the bathing ghats and eventoilets constructed during Kumbh Mela outside Vanprasth Ashram. The area has become prone to untoward accidents because of use of highly inflammable fuel by the vendors.

2. Vide order dated 14.09.2022, this Tribunal constituted a Joint Committee comprising of the representative of Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB),Executive Officer, Municipal Council, Pauri, Garhwaland the District Magistrate, Pauri, Garhwalwith direction to submit its report within one month which period was extended by one month vide order dated 20.12.2022.

3. In compliance of order dated 20.12.2022, the District Magistrate, Pauri, Garhwal has sent report of the Joint Committee vide letter dated 28.12.2022 by post which was received on 05.01.2023. Copy of the report of the Joint Committee has also been filed vide email dated 15.02.2023.

4. The relevant part of the report of the District Magistrate, Pauri, Garhwal is reproduced below:-

> **"**मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मूल आवेदन संख्या –583/2022 श्री नवीन राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 14–09–2022 के अनुपालन में समिति का गठन कर स्थलीय निरीक्षण के सम्बन्ध में।
>
> उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या –583/2022 श्री नवीन राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में निम्न विभागों को संयुक्त समिति का गठन किया गया।
>
> 1. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
> 2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
> 3. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, जौंक।
>
> तत्कम में उपरोक्त दिमागों द्वारा निम्न सदस्यों को किया गया, जिसके अनुक्रम में नगर पंचायत स्वर्गाश्रम–जौंक क्षेत्रान्तर्गत रामझुला सेतु से जानकी झूला सेतु तक ठेली वालों के द्वारा अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 12.11.2002 को किया गया।
>
> 1. श्री प्रमोद कुमार उप जिलाधिकारी, यमकेश्वर गढवाल
> 2. डा0 आर0 के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण, नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
> 3. श्री राकेश कण्डारी, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

4. श्रीमती मन्जु चौहान, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक, पौड़ी गढ़वाल।

स्थलीय निरीक्षण के समय श्री नवीन राणा, पार्षद, शिकायतकर्ता ऋषिकेश उपस्थित थे। स्थलीय निरीक्षण में शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र के क्रम में बिन्दुवार निम्नवत स्थिति पायी गयी है, जिसके फोटोग्राफ संलग्न है।

शिकायती पत्र का बिन्दु संख्या	शिकायत का विवरण	स्थलीय स्थिति
1.	रामझूला से गीता भवन की ओर मुड़ते ही दिल्ली वालों की दुकान के समाने, जोशी प्रोविजन स्टोर, करघा वस्त्रालय के सामने तथा गीता भवन पूड़ी मिठाई की दुकान के सामने बेतरतीब ठेलियां लगी हुई हैं तथा भारी गन्दगी व्याप्त है।	रामझूला से गीताभवन की ओर मुड़ते हुए प्रोविजन स्टोर, करघा वस्त्रालय के सामने लगभग 2-3 पंजीकृत ठेलियां चलायमान स्थिति में पाई गई है तथा चलायमान स्थितिमेंपाई गई हैतथा चलायमान स्थिति में होने के कारण उक्त स्थल पर नगर पंचायत कर्मियों द्वारा सफाई की जाती है तथा गन्दगी जैसी कोई स्थिति नहीं पाई गई है ।
2.	नाव घाट के ऊपर भी चाय आदि कीस्थायी ठेलियां/ स्टॉल लगी हुयी है, जो भरी गंदगी करते हैं।	नरीक्षण के समय नवघाट में चाय कीकोई ठेली लगी नहीं पाई गई। नवघाट के ऊपरी भाग में मार्ग पर एक पंजीकृत ठेली लगी है, उक्त ठेली संचालक द्वारा ठेली पर कूड़ादान की व्यवस्था की गयी है, जिससे उक्त ठेली से उत्पादित होने वाला अपशिष्ट गंगा नदी में नहीं जाता है।
3.	नई धर्मशाला के गेट पर स्वर्गाश्रम ट्रस्ट के एक कर्मचारी द्वारा एक चाय की दुकान स्टॉल बहुत ही बेतरतीब तरीके से लगाकर सड़क के उपर अतिक्रमण किया हुआ है तथा बहुत ज्यादा गन्दगी फैलाई हुयी है।	नई धर्मशाला के गेट पर लगाया गया चाय का स्टॉल सड़क के किनारे है। उक्त स्टॉल पर सम्बन्धित कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है, जिससे अपशिष्ट इधर- ऊधर नहीं फैलता है।
4.	लक्ष्मी नारायण मंदिर के घाट के दोनों 3 साइड की सीढ़ियों पर करीब 20 स्टॉल वालों के द्वारा पूर्ण रूप से अतिक्रमण किया गया है, जंहा पर भारी गन्दगी व्याप्त है और पूरे घाट को बन्द कर दिया गया है। इन ठेली वालों के द्वारा घाट पर ठेली लगाने से	स्वर्गाश्रम में लक्ष्मीनारायण मंदिर के समीप लगभग 12 पंजीकृत स्टॉल है। इस स्टॉल के कारण गंगाघाट पर आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है. उक्त ठेलियां गंगा घाट से पर्याप्त दूरी पर लगी हुई है। उक्त ठेली संचालकों द्वारा

	महिलाओं को स्नान आदि करने में भी बहुत दिक्कत होती है तथा इसी आड़ में नहाने वाले यात्रियों के कपड़े, पर्स, जेवर आदि भी चोरी होते रहते है, जिसकी सूचना पुलिस के द्वारा दर्ज किये जाने में सदैव आनाकानी की जाती है, जिस कारण यह घटनायऐ रिकार्ड पर नहीं आ पाती। ठेली वालों में अधिकाश लोग बाहरी क्षेत्रों के है।	अपशिष्ट हेतु कूड़ादान भी लगाये गये है। उक्त स्थल पर समस्त ठेली संचालक लाईसेंसधारक है।
5.	गीता भवन के सामने लगभग आधी सड़क घेरकर ठेली व स्टॉल लगाये गये है, जहां बहुत ही ज्यादा गंदगी रहती है तथा देखने में भी बहुत अधिक बुरा लगता है।	गीता भवन नं0-1 के मुख्य द्वार के सामने वाले मार्ग पर लगभग 2-3 पंजीकृत ठेली संचालक व्यवसाय करते है, जिनके द्वारा अपशिष्ट हेतु कूड़ेदान रखे गये है, इसलिए स्थलीय निरीक्षण के दौरान गन्दगी जैसी कोई स्थिति नहीं पाई गई।
6.	गीता भवन के गेट पर भी ठेली वालों का भारी जमावड़ा रहता है तथा गीता भवन से लेकर भारत साधू समाज बाजार प्रारम्भ होने तक भी सड़क के उपर स्थाई अतिक्रमण हो चुका है, जहां पर बहुत ज्यादा गन्दगी व्याप्त रहती है। यहा पर एक ही परिवार द्वारा कुल 06 ठेलियां/ स्टॉल लगाकर अतिक्रमण किया गया है। और यह ठेलियां ठीक गीता भवन नम्बर -01 के गेट के सामने आधी से ज्यादा सड़क को घेरकर लगाई जाती है। इससे शर्मनाक स्थिति और कोई नही हो सकती कि अधिकारी भी चुपचाप वहा से निकल जाते है और उन पर कोई कार्यवाही नहीं करते है।	गीता भवन नं0–1 के मुख्य द्वार के समीप वाले मार्ग पर 02 पंजीकृत ठेलियाँ/स्टॉल लगे हैं, जिनके कारण मार्ग पर आवागमन में कोई कठिनाई स्थलीय निरीक्षण के दौरान नहीं पायी गयी।
7.	इसके पश्चात बाजार को पार करते ही गीता भवन नंम्बर-2 के गेट के सामने पंजाब नेशनल बैंक के सामने पर परमार्थ निकेतन घंटाघर के निकट तथा आगे जानकारी सेतु तक इसी प्रकार ठेली वालों के द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर पूरी की पूरी सड़क पर अतिक्रमण किया गया है।	गीता भवन नं0-2 के सामने एवं पंजाब नेशनल बैंक स्वर्गाश्रम के सामने वाले मार्ग लगभग 02-03 पंजीकृत ठेलियां चलायमान स्थिति में संचालित होती है।

8.	गीता भवन नम्बर -03 और वानप्रस्थ आश्रम के बीच वाली गली तथा गंगा जी की ओर जाने वाले रास्ते पर काशी सिंह के द्वारा बाहर से झोपड़ी तथा अन्दर पक्का निर्माण कर पूरे का पूरा अतिक्रमण कर लिया गया है।	गीता भवन नं0-3 एवं वानप्रस्थ आश्रम के बीच वाली गली में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं पाया गया। गंगा नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर एक अस्थाई झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण किया गया है।
9.	इसी प्रकार वानप्रस्थ आश्रम के बाहर पूर्व में कुम्भ मेला द्वारा लगाए गए शौचालयों पर अतिकमण कर उसके ऊपर पूरी की पूरी झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है।	यह सम्पत्ति सरकारी भूमि है, जो कि जानकी पुल रामझूला के मुख्य मार्ग से लगी हुई है, जिसमे 02 अस्थाई झोपड़ियों का निर्माण कर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।
10.	स्वर्गाश्रम एक अत्यन्त महत्पूर्ण क्षेत्र है और इसमें ठेली / स्टॉल वालों के द्वारा बेतरतीब ठेलियां लगाये जाने से पूरे के पूरे क्षेत्र की छवि धूमिल होती है तथा इससे पर्यटन उद्योग पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार की गन्दगी और बहुत ही भद्दे पन को देखकर पर्यटक यहां पर क्या छवि लेकर जाते हैं यह एक विचारणीय प्रश्न है।	नगर पंचायत जौंक क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार लगभग 60 प्रतिशत भाग मैदान तथा लगभग 40 प्रतिशत भाग पर्वतीय है। अधिकांश भूमि विभिन्न संस्थाओं / आश्रमों के स्वामित्व की है जिनके द्वारा चारदीवारी की गई है। वर्तमान परिदृश्य में समस्त ठेलियों, फड़ो, खोमचों का विकेन्द्रीकरण किया जाना आवश्यक है।
11.	इस पर अंकुश न लग पाने के कारण यहां लोग आये दिन अपने रिश्तेदारों एव परिवार के लोगों को बुलाकर यंहा नए-नए स्टॉल स्थापित कर रहे है, जिससे कि यह समस्या एक विकराल रूप लेती जा रही है। इनमें से कई लोगों द्वारा अवैध शराब तथा अन्य अवैध मादक पदार्थों की अवैध बिक्री की सूचना भी समय-समय पर प्राप्त होती रहती है तथा इनमें से ज्यादातर लोग घरेलू सिलेंडर का धड़ल्ले से उपयोग करते है प्रत्येक ठेली पर एक सिलेंडर होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यन्त संवेदनशील एवं खतरनाक स्थिति बनी हुयी है। हाल ही में जोशी प्रोविजन स्टोर के सामने एक ठेली के लिसेंडर में आग लगने के कारण दुकान का भी बहुत नुकसान होने से बचा. जिसमें दुकान मालिक के हाथ भी झुलस गये थे तथा इसी प्रकार राम झूला के निकट	नगर पंचायत द्वारा अवगत कराया कि समय-समय पर अवैध ठेली संचालकों को हटाने की कार्यवाही अमल में लाई जाती है. अधिकांश ठेली संचालकों द्वारा व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया जाता है। घरेलू गैस सिलेण्डर के उपयोग की स्थिति में जब्ती / अर्थदण्ड की कार्यवाही प्रशासन द्वारा अमल में लाई जाती है।

	उमाशंकर दिल्ली वालों के सामने भी सिलेण्डर में आग लगने की एक घटना हाल ही में घटित हो चुकी है, जिससे किसी भी समय कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, उसके लिये भी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक की होगी। इन ठेलियों पर अवैध रूप से केरोसिन स्टोव घरेलू गैस सिलेण्डरों व चूल्हों का भी व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा है, जिसके चलते आगजनी की कुछ घटनायें हो चुकी है। और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्या हम वाकई किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे है?	
12.	अवगत कराना है कि अतिक्रमणकारियों में अधिकांश लोग स्वर्गाश्रम क्षेत्र के नहीं है, तथा कुछ अधिकारियों के द्वारा मात्र स्वार्थपूर्ति के कारण भारतवर्ष के अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्यटक एवं तीर्थ स्थल स्वर्गाश्रम क्षेत्र की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।	नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक द्वारा अवगत कराया गया है कि ठेली संचालकों को लाईसेंस नियमानुसार सत्यापन के उपरान्त ही निर्गत किये जाते है। नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक द्वारा पात्रता पूर्ण करने पर स्वर्गाश्रम क्षेत्र से इतर अन्य क्षेत्र के निवासियों को भी उत्तराखण्ड फेरी नियमावली 2016 के प्रावधानों के अनुसार ठेली संचालन हेतु लाईसेंस निर्गत किये जा सकते है।
13.	अतः इस अवैध तथा बेतरतीव अतिकम को हटा कर इन्हे वेद निकेतन आश्रम के सामने जानकी झूला के निकट सभी को एक स्थान पर स्थान दिया जा सकता है, जो क्षेत्र के स्थानीय निवासी है तथा वहां पर इन्हें कोई समस्या भी नहीं होगी। क्योंकि जानकी झूला आज एक व्यस्ततम स्थान है और जहां पर पूरा दिन और देर रात्रि तक लोगों का आवागमन रहता है। इससे इनके व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा तथा क्षेत्र भी साफ स्वच्छ सुन्दर हो जायेगा ।	नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड फेरी नियमावली 2016 के अनुसार गठित नगर फेरी समिति की बैठक दिनांक 15.11.2022 को गैर प्रतिबन्धित क्षेत्र (Vending Zone) का निर्धारण किया गया है। नगर फेरी समिति द्वारा गैर प्रतिबन्धित फेरी क्षेत्र में यथा आवश्यकता मार्गो से ठेली / फड़ो को शिफ्ट किये जाने की कार्यवाही भी यथाशीघ्र अमल में लाई जायेगी।

नगर पंचायत, जौंक क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं–3,चोटीवाला होटल से वार्ड नं–4 जानकी सेतु तक, जिसकी कुल लम्बाई 1200 मीटर है, पर कुल 57 रजिस्ट्रड ठेलियों संचालकों द्वारा व्यवसाय किया जा रहा है। नगर पंचायत द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रान्तर्गत (Vending Zone) हेतु वर्तमान समय में नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक में उत्तराखण्ड फेरी नियमावली–2016 के अनुसार फेरी समिति की बैठक में 07 वेन्डिंग जोन की उपलब्धता के आधार पर निर्धारण किया गया है। नगर पंचायत स्वर्माश्रम, जोंक क्षेत्र में ठेलीयों, फड़ों के संचालन से गंगा नदी में किसी भी प्रकार का अपशिष्ट निस्तारित होता नहीं पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा निम्न सुझाव दिये गये–

1. नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक द्वारा पंजीकृत वेन्डरों को ही संचालन की अनुमति दी जायी तथा निर्धारित वेन्डिंग जोन में ही व्यवसाय करने हेतु सुनिश्चित किया जाये।
2. वेन्डिंग जोन एवं प्रतिबन्धित फेरी क्षेत्र का निर्धारण किया जाये।
3. घाटों/नदी किनारों पर उत्प्रवाह जनित करने वाले व्यवसायों/वेन्डरों को प्रतिबन्धित किया जाये।
4. क्षेत्र में नियमित रूप से सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये एवं वेन्डरों से जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु पर्याप्त मात्रा में कूड़ेदानों की व्यवस्था की जाये।"

5. Reply has also been filed by the District Magistrate, Pauri, Garhwal vide email dated 20.01.2023.

6. The relevant part of the reply by District Magistrate, Pauri, Garhwal is reproduced below:-

"REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, PAURI GARHWAL, UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF DIRECTIONS PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL VIDE ITS ORDERS DATED 14.09.2022 AND 20.12.2022 IN THE ABOVEMENTIONED MATTER

X X X X

5. That in compliance of the above mentioned directions passed by this Hon'ble Tribunal the subject-wise report in Tabular form by way of affidavit is being furnished as follows:

Sr. No.	*Details of Complaint*	*Status of the Site*
1	*There is lot of garbage andstreet-vendors standing in bad-manner on the turning of Geeta Bhawan from*	*There is no garbage found on the turn of Geeta Bhawan from Ramjhula on front side of shop of Delhiwala, Joshi provision store and Kargha Vatralaya.*

	Ramjhula, and on front side of shop ofDelhiwalaJoshi provision store and Kargha Vatralaya	*There are 2-3 registered vendors in moving condition, which were found and sweepers of municipality are regularly sweeping the spot in question*
2	*There are tea-stalls and thelies installed on the upper side of Nav-Ghat and they spread lot of garbage*	*At the time of inspection, no tea-stall was found on the in Nav-Ghat. On the upper side of Nav-Ghat one registered- tea vendor was standing, the vendor has installed the dustbin, so that garbage generated from the stall does not go to river Ganga.*
3	*On the gate of new Dharamshala, one tea stall is installed in very bad-manner by encroaching the roadby one employee of Swargashram trust and a lot of garbage has been spread.*	*There is tea stall installed on the one side of road on the gate of newDharamshala,the above concerned tea-vendor has installed the dustbin, and, therefore, no garbage is spreading.*
4	*On both sides of Laxmi Narayan Temple, complete encroachment hasbeen done on the stairs by about 20 vendors by installing the stalls, lot of garbage is available and the Ghat has been completely closed, because of the same, the ladies are facing lot of problem in taking bath, in the guise of the same, the clothes, purses, jewelry etc. of the tourists are stolen at 'the time of bathing, the police ignore to registered report of the same, therefore, these incidents don't came into light. Mostly vendors are from outside.*	*There are about 12 registered stalls in Swargashram nearby Laxmi Narayan Temple, but no problem is created in moving on the river-bed because of 'these stalls, since the above stalls are installed at sufficient distance from the river bed, the above vendors have already installed the dustbin, all the vendors are licence-holders of nagar Panchayat.*
5	*On the opposite sideof Geeta Bhawan, the thelies and stalls areinstalledby encroaching half of road, there is lot*	*On the opposite road of main gate No.1 of Geeta Bhawan, about 2-3 registered thelies (vendors) are doing their livelihood, they have already installed the dustbins,*

	ofgarbagegenerated and the same does not looks good.	*therefore, at the time of spot inspection, no garbage were found.*
6	*There is lot of gathering by Theli vendorson the gate of Geeta Bhawan and permanentencroachment has been done on the road starting from Geeta Bhawan to Saadhu Samaj Bazar, there is lot of garbage available. There is encroachment done by one family by installing total 06 Thelies/stalls, and these thelies are installed on the exact opposite side of gate no.1 of Geeta Bhawan by encroaching half of road, there are in very shameful position, when the officers crosses this side they also remain keep quite and don't take any action*	*On the opposite road of main gate No.1 of Geeta Bhawan, about 2-3 registered thelies (vendors) are doing there livelihood, they already installed the dustbins, therefore, at the time of spot inspection, no garbage were found.*
7	*By crossing the above market, the whole road has been encroached by Street-vendors on the gate No.2 of Geeta Bhawan opposite side of Punjab national Bank nearby ParmarthNiketantillJanki Bridge.*	*There are 2-3 registered Street-vendors installed in moving condition on the Gate No.2 of Geeta Bhawan and Punjab National Bank opposite side road of Swargashram.*
8	*Between street ofGeetaBhawanNo.3andVaanprasthAshram on the side of river Ganga, hut is installed and inside permanentconstruction has been done by Kashi Singh and encroached is done on whole side.*	*No type of encroachment is found between street of Geeta Bhawan No.3 and Vaanprasth Ashram, there is encroachment done by installing a temporary hut on the road to river Ganga, which has been removed by the local administration.*
9	*Like this there are encroachments*	*This is government land, the same is adjoining to main road*

	doneon thetoiletsestablished by KumbhMela in east of Vaanprasth Ashram by installing the huts.	*of JankiPul- Ram Jhula and there is encroachment has been done by installing 2 temporary huts on the government land. In this regard notices have been issued to the encroachers and the temporary huts shall be removed soon.*
10	*There is very important area of Swargashram, the image of the same is not shown good by blocking the area installing the Thelies/ stalls in bad manner and it create a bad picture on the tourism industry, therefore, it has to be considered that the garbage create bad picture in the mind of tourist.*	*According to the area of Nagar Panchayat, Jaunk 60 percent area of Jaunk is plain and about 40 percent area is hilly, most of the land is in occupation of different organizations/ ashrams, they covered their area by constructing the boundary walls, so therefore, the decentralization of all Thelies, Stalls and Khomchas etc. is necessary.*
11	*Due to no restrain on same, new stalls are establishing daily by the persons by callingtheir relativesand Family persons, this problem is increasing day by day.* *The information about selling of illegal liquor and other illegal drugs is received from time to time and most of the persons are using domestic cylinder openly, it is very sensitive in view of security, having a cylinder on the stall, recently an incident of fire have occurred opposite side of Joshi Provision Store and a big damages had not happened, in that incident the hands of shop-owner were scorched and like this incidents happened in Ramjhula opposite*	*This has been informed by Nagar Panchayat, that the action for' dismantling the illegal vendors is done from time to time, most of the vendors are using commercial Gas cylinders, the action of confiscation/ imposing fine in case of using of domestic cylinder.*

	side of Umashankar Delhiwala due to fire in cylinder, there may be a big incident, if this type of incident tooks place, then for the same Executive Officer,NagarPanchayat, SwargashramJaunk will be responsible. The thelies vendors are using kerosene stoves and domestic gas cylinder and stoves, due to the same some fire incident had took place, and they can be happen in future, are we waiting for a big incident?	
12	*This is to inform that most of encroachers are not from Swaragsharam, the picture of very important tourist place Swaragsharam area is being harmed because of some of the officers*	*This has been informed by Nagar Panchayat, Swaragashram-Jaunk, that the licences have been issued to the street vendors after due verification. The Nagar Panchayat, Swaragshram-Jaunk can issue the licences to the vendors from other areas after fulfilling the criteria according to the provisions of Uttarakhand Street Vending Rules, 2016*
13	*Therefore, byremoving the said illegal encroachment and all can be shiftedoppositesideof VedNiketan AshramnearbyJhanki Jhula, the local residents will not have any problemfor thisaction, because JankiJhula is a busy place and the movement of the persons is whole day and till late night, there will be no adverseeffectontheir business due this step, and area will*	*This has been informed by Nagar Panchayat, SwaragashramJaunk, that in the meeting dated 15.11.2022 of town vending committee of Nagar Panchayatundertheprovisionsof UttarakhandStreet vending Rules, 2016, the non-restricted area (Vending Zone) has been decided, the action for shifting the Thelies/ stalls from busy roads will be taken shortly.*

	become neat and clean.	

6. That it is to bring to the kind notice of this Hon'ble Tribunal that currently 57 vendors have been issued vending certificates by Nagar Panchayat Swaragsharam-Jaunk for carrying on vendingbusiness in 7 vending zones that have been decided by the town vending committee as per the provision of Uttarakhand Street vending Rules, 2016, covering the area from ward No.3 Chotiwala Hotel to Ward No.4- JankiSetu, length of the same is 1200 meters. Currently the work of resettlement of concern street vendors to the designated vending zones is already under progress.

7. No garbage is found disposing in river Ganga in the NagarPanchayat area, Jaunk due to operation of theli/stalls.

8. That in view of the above mentioned facts, the joint committee given the following suggestions:

(I) The vendors registered by Nagar Panchayat, Swaragrashram-Jaunk only should be given permission to operate and it should be ensured that business by the vendors by the shall be done in vending zone.

(II) The vending Zone and prohibited vending area has to be decided.

(III) The business by the vendors has to be banned on the river, river beds.

(IV} Regular sweeping/ cleaning of the area has to be done, and it has to be ensured that for entire solid waste generated by the vendors, for that dust bins be arranged in appropriate quantity..”

7. In the report of the Joint Committee and reply filed by the District Magistrate, Pauri Gharwal, it has been mentioned that vending zones have been notified as per recommendations of the Town Vending Committee of Nagar Panchayat under the provisions of the Uttarakhand Street Vending Rules, 2016and licencess have been issued to the street vendors and action has been taken/is being taken for shifting of the vendors and removal of the encrochments. In the report of the Joint

Committee as well as the reply of the District Magistrate, Pauri Gharwal it has also been mentioned that no pollution is being caused in river Ganga due to the street vendors as appropriate remedial measures have also been adopted.

8. In view of the above we are of the considered view that no further action is required to be taken on the present case which is disposed of accordingly.

9. However, the Executive Officer, Municipal Counsel, Pauri Gharwal and the District Magistrate, Pauri Gharwal are directed to ensure that the recommnedations made by the Joint Committee in its report are duly complied with in letter and spirit.

10. A copy of this order be forwarded to the applicant by post and to the Executive Officer, Municipal Council, Pauri and the District Magistrate, Pauri by email for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr.Afroz Ahmad, EM

May 11 2023
ag